

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

कमांक 703 / वि.यो.496 / नग्रानि /

भोपाल, दिनांक 8/2/2018

ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(कमांक 23 सन 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका कमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल कमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक(5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्वालियर विकास योजना 2021	—	5	कंडिका 5.14.1(च) :- डी.आर.डी.ओ. सिटी सेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मी. की उचाई तक का निर्माण अनुमत होगा।	—	कंडिका 5.14.1(च) :- डी.आर.डी.ई. सिटी सेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
				कंडिका 5.14.1(छ) :- थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मी. की उचाई का निर्माण अनुमत होगा।	—	कंडिका 5.14.1(छ) :- थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
				सारिणी 5-सा-1 की टीप :- विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत, आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध	—	सारिणी 5-सा-1 की टीप :- विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किए गए हैं। इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक में 6 मीटर

				सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास की अधिकतम उँचाई 6 मीटर, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किए जाने वाले विकास की अधिकतम उँचाई 7.2 मीटर होगी।		वाणिज्यिक में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक उपयोग में 7.2 मी. से अधिक उँचाई एयरफोर्स/रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगी।
2	ग्वालियर विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	5	5-सा-14	पी-1 कॉलम 4 सरल क्र 15 सरल क्र.86 सरल क्र. 123	हेल्थ सेंटर NP के स्थान पर P मान्य होगा। Local Self, Semi Govt./Govt. Office (गतिविधि) NP के स्थान पर P मान्य होगा। गैर प्रदूषणकारी उद्योग *
		कृषि	5	5-सा-14	कॉलम 13 सरल क्र. 123 सरल क्र. 124	गैर प्रदूषणकारी उद्योग * कृषि पर्यटन सुविधा**
		आवासीय	2	5-सा-14	सरल क्र. 125	मल्टीप्लेक्स

ब्याख्या-

- i. *गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
- ii ** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।
- टीप:- सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पंधुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश भोपाल